बिहार सरकार

<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>

पत्रांक–02/रेगु०–02–7004/2024– 968/ई०गा० **/पटना, दिनांकः–** 01.07 ~~**जून**~~**, 2025**

<u>आदेश</u>

चूँकि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना/क्षमता विस्तार एवं विकास हेतु वर्तमान में प्रोत्साहन पैकेज–2014 प्रवृत्त है, जो विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 (यथा संशोधित) द्वारा निर्गत है।

चूँकि राज्य में चीनी तथा उसपर आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु स्वीकृत प्रोत्साहन पैकेज–2014 के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका प्रवृत्त है, जो विभागीय पत्रांक–2532 दिनांक–31.10.2014 द्वारा निर्गत है।

चूँकि विभाग द्वारा निर्गत प्रोत्साहन पैकेज–2014 की कंडिका–2 (क) (iv) के आलोक में मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में अतिरिक्त उत्पादित चीनी पर भुगतान किये गये जीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु कुल मो० 877.46 लाख रूपये का दावा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

चूँकि विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–2.2 (क) (ii) में उल्लेखित है कि–

"क्षमता विस्तार के पूर्व के दो वर्षो में उत्पादित औसत चीनी उत्पादन की गणना हेतु क्षमता विस्तार हेतु निवेश आरम्भ करने के पूर्व के पेराई सत्र एवं उसके ठीक पहले के पेराई सत्र में उत्पादित चीनी की औसत मात्रा को आधार माना जाए।"

चूँकि पूर्व में SIPB के अनुमोदन के तिथि को ही निवेश की तिथि मानकर विभाग द्वारा चीनी मिलों से प्राप्त दावों का निस्तारण किया गया है।

चूँकि बगहा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा प्राप्त दावा में वाणिज्यिक उत्पादन के तिथि से पूर्व के दो वर्षो को निवेश की तिथि माना गया है एवं उसके अनुरूप दावा प्रस्तुत किया गया है।

चूँकि SIPB के अनुमोदन के तिथि दिनांक–23.09.2020 एवं वाणिज्यिक उत्पादन के तिथि दिनांक–15.11.2022 है।

चूँकि विस्तारित क्षमता (8000 टीसीडी) पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (दिनांक–15.11.2022) के पश्चात् पेराई सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में इस चीनी मिल द्वारा क्रमशः 1078403 क्विंटल एवं 1128843 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। यह क्षमता विस्तार के लिए निवेश प्रारम्भ करने के पूर्व के दो वर्षो में उत्पादित औसत चीनी की मात्रा से क्रमशः 137588.50 क्विंटल एवं 87148.50 क्विंटल कम है।

चूँकि पेराई सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में इस चीनी मिल द्वारा अतिरिक्त चीनी का उत्पादन नहीं किया गया है।

Order (ls)-2

अतएव विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7004/2024–968/ई०का/पटना, दिनांकः–01-07 जून, 2025

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7004/2024–968/ई०का/पटना, दिनांकः–01-07 जून, 2025

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7004/2024–968/ई०का/पटना, दिनांकः–01-07 जून, 2025

प्रतिलिपिः–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7004/2024–968/ई०का/पटना, दिनांकः–01-07 जून, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।